अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
1. आंध्र प्रदेश	• **कृषि के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति** का समय बढ़ाकर 7 से 9 घंटे करना। • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में **एसएचजी सदस्य** के रूप में 18 वर्षों से अधिक समय तक रही **महिलाओं को** 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर **आय सुरक्षा** प्रदान करने के लिए अंशदायी पेंशन (डॉ.वाइएसआर अभय हस्तम योजना) शुरू करना। **एड्स मरीजों के लिए पेंशन योजना** के लिए 2010-11 के बजट में 1,932 करोड़ रुपये का प्रावधान। • शिक्षा योजनाएं लागू करना (सर्व शिक्षा अभियान और साक्षर भारत मिशन 2012 नामक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना)।	• भारत सरकार की वित्तीय सहायता से **3,000 "छोटे" सिंचायी टैंकों की बहाली** का प्रस्ताव। • **पीपीपी मोड के तहत पुल निर्माण** (गोदावरी नदी पर दूसरा पुल) और सड़क निर्माण (भारत सरकार के वाएबिलिटी गॅप निधीयन के तहत 3,083 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 520 किमी की लंबाई की तीन और सड़कें) बनाना। • विजयवाड़ा और विशाखापटनम शहरों में **जेएनएनयूआरएम** के तहत बस रॅपिड ट्रांजिट सिस्टम (बीआरटीएस) लागू करना।	• 2010-11 में 312 करोड़ रुपये के प्रावधान के माध्यम से पीएमआरवाइ, राजीव युवा शक्ति योजना के तहत **बुनकर** सहकारी समितियों और व्यक्तिगत **बुनकरों को स्वीकृत ऋणों की एक बारगी माफी।** • राज्य के नौवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर **राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों** को 39 प्रतिशत के **फिटमेंट लाभ** की अनुमति दी गयी।	• सभी जिलों/मंडलों को कवर करते हुये ग्रामीण नागरिकों को सभी सरकारी और मूल्य वर्धित सेवाएं वहनीय लागत पर उनके द्वार पर समन्वित पद्धति से उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत 4,687 आइसीटी समर्थित केंद्रों की स्थापना।
2. अरुणाचल प्रदेश	• उन नागरिकों को हृदय, यकृत, गुर्दे संबंधी **टर्मिनल बीमारियों** और कैंसर **के लिये 25,000 रुपये** तक की सहायता जो न तो सरकारी कर्मचारी है और न ही उनके परिवार के सदस्य हैं। • 15 करोड़ रुपये के व्यय से संवेदनशील स्थानों में **पीडीएस गोदामों का निर्माण।** • खाद्यान्न की हानि रोकने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त **स्टोरेज गोदामों का निर्माण।**	• सीसीटीवी कॅमेरे लगाकर और सीमा जांच द्वारों पर इलेक्ट्रॉनिक वेब्रिज बनाकर **कर और उत्पाद शुल्क विभागों द्वारा लिकेजों को रोकना।** • खजानों का कंप्यूटरीकरण, करों का ई-भुगतान आदि। • **यूआइडी परियोजना** के लिए बजट प्रावधान और राज्य में **सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार।** • **एसएचजी को सस्ते बैंक-ऋण** के लिए 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी।	• **पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने** के लिये 2010-11 के दौरान 25 करोड़ रुपये का आबंटन। • तंबाकू और सहायक उत्पादों पर वॅट की दर 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना।	
3. असम	• आवश्यक पण्यों के **मूल्यों में असामान्य वृद्धि से निपटने के लिए पीडीएस को सुसंगत करने,** दंडात्मक कार्रवाई सहित संभाव्य उपाय करने का प्रस्ताव।	• **किसान क्लब** बनाने का प्रस्ताव और सूचना प्रसार, अनुभव बांटने आदि के लिए एक्सपोजर विजिट देना।	• **असम वेतन आयोग 2008 की सिफारिशें लागू करना** जिससे 4,200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय दायित्व की अपेक्षा है।	• **चौथे असम राज्य वित्त आयोग** का गठन (प्रारंभ के लिये अवार्ड अवधि 1 अप्रैल 2011 से)।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• पीडीएस प्रभावी रूप से लागू करने के लिये **"असम राज्य नागरी आपूर्ति निगम"** के गठन का निर्णय। • 13 लाख परिवारों को 6 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से प्रति माह 10 कि.ग्रा.चावल की आपूर्ति के लिये एक नयी योजना के तहत **बीपीएल लोगों को खाद्य सुरक्षा** उपलब्ध कराना। • राज्य के नदी के तटीय क्षेत्रों में **50 नये अस्पताल बनाने** का प्रस्ताव। • ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं के लिये **30 प्रतिशत सरकारी नौकरियों** को निर्धारित करना। • **बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक संकुल, उत्तर-पूर्वी ट्रायबल म्युजियम और सांस्कृतिक केंद्र, सिनेमा नगरी** आदि बनाना। • मुंबई के एसएनडीटी विश्वविद्यालय की तर्ज पर **महिला विश्वविद्यालय** की स्थापना।	• **राज्य मत्स्य व्यवसाय प्रयोगशाला** की स्थापना का प्रस्ताव। • 200 करोड़ रुपये के व्यय से **"रोजगार उत्पादक विशेष कार्यक्रम"** लागू करना। • चाय आदिवासी युवकों की व्यापार और गतिविधि-वार कुशलता पहचानकर उनकी कुशलया बढ़ाने के लिये उन्हें **उपकरणों के किट का सेट** उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। • रोजगार उत्पत्ति की सुगमता के लिये **प्रत्येक गांव में व्यष्टि-स्तरीय उद्यमों का गठन** प्रस्तावित। • 25,000 रुपये तक के पूंजी निवेश के लिये सावधी ऋण और 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण के लिये **बुनकरों और रेशम-कीड़े पालकों को 3 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी** देने का प्रस्ताव। • फसल ऋणों पर **ब्याज सब्सिडी की दर** 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।	• **एसपीएसयू के लिये वेतन संसोधन समिति** का गठन। • **असम मोटर वाहन कर** अनुसूची को युक्तियुक्त बनाना। • सरकार के सक्रिय विचार के तहत **असम यात्री माल कराधान अधिनियम 1962 के तहत करों के एकमुश्त दर में संशोधन।** • 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि से उत्पाद शुल्क राजस्व बढ़ाने के लिये **शुल्क ढांचे और लाइसेंस शुल्क को युक्तियुक्त करना।** • खाद्य मदों के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिये चीनी पर 1 प्रतिशत और मछली तथा अंडों पर 4 प्रतिशत का **वर्तमान प्रवेश कर हटाना।** • चाय पर **प्रवेश कर समाप्त करना,** सीनेमा गृह में प्रवेश के लिये किये जाने वाले भुगतान पर मनोरंजन कर की दर कम करना। • एक्स-रे फिल्मों और अन्य डायग्नोस्टिक्स फिल्मों पर **वॅट कम करके** 5 प्रतिशत करना, दैनिक उपयोग की मदों, नामत: प्रेशर कूकर पर 13 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करना, लीज लेनदेनों और पकायी हुयी खाद्य मदों, प्लेटों, कांटा-चम्मच, ब्लैक बोर्ड और सजावटी प्लायवुड पर 13.5 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करना।	
4. बिहार	• जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर **"मॉडल पाठशाला योजना"** के तहत मॉडल पाठशालाओं की स्थापना।	• **ग्रामीण क्षेत्रों में पूलों** के लिये 2010-11 के दौरान 900 करोड़ रुपये का प्रावधान।	• किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से लिये गये **ऋणों पर किसानों को 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी** का प्रावधान।	• **नये भर्ती हुए शिक्षकों (जिनका वेतन निर्धारित है) के वेतन** में 1000 रुपया प्रति माह की वृद्धि।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• राज्य में शैक्षिक बुनियादी सुविधा के विकास के लिये **"शैक्षिक बुनियादी सुविधा विकास निगम"** की स्थापना करना। • 30 जिलों में कुपोषित बच्चों और माताओं के लिये स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा सुविधाएं, देहातों में गर्भवती महिलाओं के हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान **मुफ्त एंबुलेंस सेवा** की सुविधा। • **पर्यटन विभाग के लिये 49 योजनाओं** की शुरुआत जिनका निधीयन केंद्र और राज्य सरकार करेगी।	• बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम में 848 करोड़ रुपये के व्यय से 35 बाढ़ सुरक्षा योजनाएं लागू की जायेंगी। • 2000 तक की जनसंख्या वाले देहातों में **"शाखा रहित बैंकिंग"** और **"कारोबार संपर्की, और प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों"** के माध्यम से सप्ताह में कम-से-कम एक दिन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। • **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी और पारदर्शी रूप से लागू करने** के लिये बायोमेट्रिक प्रणाली के आधार पर ई-मस्टर रोल।	• राज्य विद्युत बोर्ड की संसाधन कमी के संबंध में 2010-11 के बजट में 1,080 करोड़ रुपये का प्रावधान। • राज्य के भीतर 40 लाख रुपये के पण्यावर्त वाले व्यापारियों के लिये एकमुश्त 10,000 रुपये की **"छोटे व्यापारी कर योजना"** नामक नयी योजना। • कांसा धातु कारागिरों के लिये कर में छूट। • 40 लाख रुपये से अधिक के पण्यावर्त वाले व्यापारियों के लिये **अनिवार्य ई-भुगतान और ई-विवरणी**। • प्रवेश कर दर को वॅट दर के संगत बनाने का प्रस्ताव। • उद्योगों के लिए कच्चे माल पर प्रवेश कर छूट	• कॉमन सेवा केंद्र, नॉलेज सिटी और राज्य डाटा केंद्र जैसी सूचना **प्रौद्योगिकी पहलें** लागू की जायेंगी। • **जाली स्टैंपों की बिक्री रोकना** और स्टैम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क संग्रह में सुधार करना। • "भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि." के माध्यम से "ई-स्टैम्पिंग"। • **"बिहार प्रशासनिक सुधार आयोग"** के तहत "रिफार्म सपोर्ट यूनिट" और "कर अनुसंधान इकाई और प्रशिक्षण कक्ष" का गठन।
5. छत्तीसगढ़	• राज्य के उद्योगों में **रोजगार अवसरों** के लिए पांच पॉलिटेक्निक्स और "स्किल विकास मिशन" की स्थापना। • एससी/एसटी के छात्रों के लिये 113 होस्टल और 23 आश्रम बांधने के लिये 84.86 करोड़ रुपये का प्रावधान। • एससी/एसटी के **उद्यमियों को प्रोत्साहन** देने के लिये 15 लाख रुपये के "मार्जिन मनी ग्रांट" की योजना। • 2010-11 में पांच सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 300 उप-केंद्र और 4 सरकारी नर्सिंग पाठशालायें खोलकर चिकित्सा सुविधा और शिक्षा का विस्तार।	• **हवाई सेवा के विकास** के लिये दो नये रनवे और एक हेलीपॅड। • लघु उद्योगों के उत्पादन पर राज्य **प्रवेश कर** से छूट।	पहले राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्य के निवल राजस्व का 4.79 प्रतिशत और साथ ही निवल संग्रहित मनोरंजन कर का एक-तिहाई भाग **पंचायती संस्थाओं** को अंतरित करने का प्रस्ताव। • **कुछ आवश्यक दैनिक उपयोग की मदों (केरोसिन स्टोव, खाद्यान्न, पकाये हुए खाद्य और दलहन** आदि) पर वॅट में कटौती/छूट। • 5 एकर भूमि तक किसानों को भूमि की चकबंदी के लिये स्टैम्प शुल्क से छूट।	
6. गोआ	• **"गोआ इंस्टच्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव करियर्स"** और **सरकारी वाणिज्य और अर्थशास्त्र महाविद्यालय** की स्थापना का प्रस्ताव।	• "संविदा कृषि अधिनियम" अधिनियमित करके **बंजर भूमि को जुताई के तहत लाने** का प्रस्ताव।	• **जुताई न की गयी और बंजर भूमि** पर भू-राजस्व की दर में 200 प्रतिशत तक वृद्धि।	• खाद्य प्रसंस्करण के लिये कार्य दल का गठन और **खाद्य प्रसंस्करण** क्षेत्र को प्रत्साहन देने के लिये योजना बनाना।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• राज्य की संपूर्ण निवासी जनसंख्या के लिये "स्वर्णजयंती आरोग्य बीमा" नामक बीमा पॉलिसी योजना के माध्यम से बीमा सुरक्षा का प्रस्ताव। • राज्य के लिये एक समग्र "आवास और निवास नीति" बनाने के लिये पेशेवरों का दल बनाने का प्रस्ताव।	• **सोलार पॉवर बैटरी** पर सब्सिडी का प्रावधान। • भूमि के मालिकों को इस बात के लिये प्रोत्साहित करना कि वे अपनी **भूमि को उत्पादक उपयोग में लायें**। • **"गोआ वेंचर कॅपिटल फंड"** का गठन करना। • लघु और व्यष्टि उद्यम की स्थापना के लिये मात्र **महिलाओं के लिये उद्यमी विकास कार्यक्रम।** • गोआ के हस्तशिल्प के **कारागिरों को प्रोत्साहन** देने के लिये गोआ हाथ-कम-शिल्पग्राम, नया एम्पोरियम और हस्तशिल्प की वस्तुओं को वैश्विक आधार पर बेचने के लिये ई-पोर्टल की स्थापना करना। • पूरी तरह से पीपीपी आधार पर गोआ-मुंबई, गोआ-करवार के बीच फेरी/क्रूज सेवा चलाकर पर्यटकों के आगमन को बढ़ाना।	• सभी श्रेणियों के होटलों/रिसॉर्टों के कमरों के किराये पर 5 प्रतिशत उप-कर लगाने का प्रस्ताव। • मदिरा की खुदरा बिक्री के लिये लाइसेंस शुल्क का स्वरूप और साथ ही उत्पाद शुल्क के स्वरूप को युक्तियुक्त बनाना।	• स्थानीय आइटी प्रतिभा को बढ़ावा देने और इसे उद्यमशील पद्धति से मार्गबद्ध करने के लिये **"गोआ आइटी ज्ञान केंद्र"** की स्थापना करना। • पूंजी का 50 प्रतिशत अंशदान करने वाले **एसएचजी के सदस्यों के लिये** 50 प्रतिशत का एकबारगी अनुदान और **"प्रारंभिक पूंजी"** के रूप में अधकितम 50,000 रुपये तक सहायता। • "बुनियादी सुविधा निधि" स्थापित करके **पीपीपी परियोजनाओं** को प्रोत्साहन और सहायता देना। • 44 करोड़ रुपये की मूल निधि की सहायता से **"वाएबिलिटी गॅप फंड"** की स्थापना का प्रस्ताव।
7. गुजरात	• राज्य के 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिये **शिक्षा का लाभ** सुनिश्चित करने के लिये "सरस्वती यात्रा" शुरू करना। • उच्च शिक्षा के **14 नये सरकारी महाविद्यालयों** का निर्माण। • आंगनवाड़ियों के रूप में 3300 नंद घर बनाना। • "स्वर्णिम गुजरात मुख्य मंत्री शहरी विकास योजना" नामक एक नयी योजना के तहत **शहरी बुनियादी सुविधा और आवास** की बेहतर व्यवस्था।	• **कृषि क्षेत्र में अनुसंधान** के लिये 30 भू-जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना। • वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार **प्राथमिक कृषि सहकारी और जिला सहकारी बैंकों** के लिये बजट प्रावधान। • **रोक-बांधों, तालाबों को गहरा करने और साथ ही सिंचायी परियोजनाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण** के लिये 541.99 करोड़ रुपये का प्रावधान।	• जमीनी स्तर पर कार्य निष्पादन सुधारने के लिये राजस्व कार्य करने के लिये एक अलग संवर्ग के रूप में **1,800 तलाठियों की भर्ती।**	• विकास और वातावरण के बीच संतुलन बनाये रखने के लिये एक **अलग मौसम परिवर्तन विभाग** की स्थापना।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• **गेहूं और चावल वहनीय मूल्य पर उपलब्ध** कराने के लिये 133 करोड़ रुपये का बजट आबंटन।	• जिलों में मौजूदा सड़कों को सुधार कर और गुजरात के बंदरगाहों, विशेष आर्थिक झोनों और विशेष निवेश क्षेत्रों को जोड़ते हुये सड़कें बनाकर **गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव।** • राज्य के **दूर-दराज के देहातों तक परिवहन सेवा** उपलब्ध कराने के लिये 2,000 नयी बसें खरीदने के लिये 311 करोड़ रुपये की सहायता।		
8. हरियाणा	• 164.06 करोड़ रुपये के आबंटन से **कौशल विकास की अनेक सुविधायें** शुरू करना और लोगों को साधन संपन्न करना ताकि वे औद्योगीकरण के लाभ प्राप्त कर सकें। • 2010-11 के दौरान 500 करोड़ रुपये के व्यय से **शहरी गरीबों के लिये किफायती आवास** पर फोकस करते हुये राजीव गांधी शहरी विकास मिशन शुरू करने का प्रस्ताव। • **भारतीय प्रबंध संस्थान** की स्थापना का प्रस्ताव।	• पीपीपी दृष्टिकोण अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाने का प्रस्ताव जैसे कि **तृतीय स्तरीय स्वास्थ्य केयर वहनीय लागत पर** उपलब्ध कराना। • राज्य में **पूर्व पश्चिम तथा उत्तर दक्षिण गलियारा** बनाकर मार्ग विस्तार करना। • विचार करने, वित्तपोषण, कार्यान्वयन, रखरखाव और पीपीपी परियोजनाओं के परिचालन के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में **हरियाणा बुनियादी सुविधा विकास बोर्ड** के अलावा प्रमुख बुनियादी सुविधा परियोजनाओं के कार्य के लिये एक विशेष प्रयोजन संस्था की स्थापना की योजना।	• **वॅट पर छोटा अधिभार** लगाना और **शहरी स्थानीय निकायों** के लिये संग्रहन का 80 प्रतिशत और **ग्राम पंचायतों** के लिये 20 प्रतिशत निर्धारित करना। • जिला अस्पताल का उन्नयन, नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति स्वच्छता सुविधाओं में में सुधार, समाज के सुविधा से वंचित लोगों के लिये विशेष केयर संस्थाओं की स्थापना जैसे विभिन्न कार्यों के लिये **आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज।**	• **ई-गवर्नंस पहलों** के सुगम कार्यान्वयन और स्थिरता के लिये **आइटी पेशेवरों का संवर्ग** तैयार करना।
9. हिमाचल प्रदेश	• 3 दालों, 2 खाद्य तेलों और नमक पर **राज्य सब्सिडी योजना** लागू करने का प्रस्ताव। • शिमला जिले के दो प्रखंडों में पीडीएस के तहत बेहतर ध्यान देने के लिये **बायोमेट्रिक आधारित स्मार्ट कार्ड** लागू करना।	• जैव कृषि और जल संरक्षण पर विशेष फोकस के साथ **फसलों के विविधीकरण** को प्रोत्साहित करने के लिये 372 करोड़ रुपये की योजना लागू करने का प्रस्ताव। • पर्यटन को वर्ष भर की गतिविधि बनाने और **दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा**	• इस समय 4 प्रतिशत की दर से कर लगाये जाने वाली मदों पर 5 प्रतिशत की दर पर कर लगाया जायेगा। • खाद्य तेल और खाद्यान्नों पर वॅट की दर में वृद्धि नहीं। • उद्योगों/परियोजनाओं द्वारा उपयोग मे लाये जाने वाले माल और प्रमुख उद्योगों के लिये	• अद्यतन सर्वेक्षण तकनीक अपनाकर **रेकार्ड के कंप्यूटरीकरण और कॅडेस्ट्रल नक्शों के डिजिटाइजेशन** पर अधिक ध्यान देकर और पंजीयन कार्य के कंप्यूटरीकरण से राजस्व विभाग का आधुनिकीकरण।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• **बीपीएल परिवारों के लिये "बेटी है अनमोल"** योजना शुरू करने और उसके जन्म के समय डाक कार्यालय में उसके नाम से 5,100 रुपये जमा करने का प्रस्ताव। • बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया जायेगा।	देने के लिये **"अविस्मरणीय हिमाचल ब्रांड"** नामक दीर्घकालिक मास्टर प्लान लागू करना।	आयात किये जाने वाले माल, पान मसाला, तंबाकू,सिगरेट, आदि से **अधिक राजस्व संग्रह करने** की दृष्टि से स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश पर हिमाचल प्रदेश कर अधिनियम, 2010 शुरू करने का प्रस्ताव।	
10. जम्मू और कश्मीर	• हस्तशिल्प कारागिरों को **स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रीमियम** पर 50 से 75 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान। • यदि किसी परिवार के महिला सदस्य के नाम पर भूमि खरीदी जाती है तो प्रभार्य स्टैम्प शुल्क पर 25 प्रतिशत की छूट देकर **महिला सबलीकरण।**	• राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये निजी क्षेत्र, **बुनियादी सुविधा का विकास** और प्रचार की पहलों को वित्तीय प्रोत्साहन। • **कॉमन वेल्थ गेम्स** और अन्य त्यौहारों के अवसरों के दौरान **व्यापक मार्केटिंग अभियान** चलाना ताकि शिल्पि और हस्तशिल्प के छोटे व्यापारी अपना स्टॉक क्लियर कर दकें। • एक नयी व्यापार नीति बनायी जा रही है। • जम्मू और कश्मीर बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से पांच **ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थाओं** की स्थापना। शेष सभी जिलों को ऐसी संस्थाओं से 2011-12 में कवर करने का प्रस्ताव है।	• तेरहवें वित्त आयोग से प्राप्त **अनुदान का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने और सभी संबंधित मदों पर व्यय में प्रगति की निरानी** के लिये उच्च स्तरीय अधिकारप्राप्त समिति। • सरकारी क्षेत्र में निकट भविष्य में **विनिवेश प्रक्रिया** शुरू की जायेगी। • 2010-11 में एसएसआइ के लिये कच्चे माल और तैयार माल पर वॅट से छूट। • **जीवनाशकों, घासफूसनाशकों और कीटनाशकों** (कृषि, बागवानी और संबंधित क्षेत्रों के लिये आवश्यक रोग नियंत्रण मदें) **पर टोल कर समाप्ति** का प्रस्ताव।	• **बेहतर कर प्रशासन और सुगम अनुपालन** के दो लक्ष्यों के लिये समिति की स्थापना करना।
11. झारखंड	• "सर्व शिक्षा अभियान" के तहत राज्य में संपूर्ण **साक्षरता अभियान** पर बल।	• जमशेदपुर और रांची में "शहरी हाट" शुरू करके ग्रामीण उत्पादों को मार्केटिंग सहायता देकर और अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराकर **ग्रामीण अर्थव्यवस्था** को मजबूत करना।	• डीजेल पर वॅट 20 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत करना। • चावल, गेहूं, प्याज, साबूदाना, आदि जैसे आवश्यक पण्यों पर वॅट से छूट। • कर और करेतर राजस्व संग्रह के लिये प्रभावी आइटी हस्तक्षेप।	

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
12. कर्नाटक	• 2010 से आगे प्रत्येक बच्चे के लिये कम-से-कम दसवीं तक **अनिवार्य शिक्षा**। • प्रतिवर्ष 3 से 5 लाख शिक्षित पुरुषों और महिलाओं के लिये प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराकर **कौशल विकास का बड़ा अभियान** चलाना। • बड़े, मध्यम और छोटे कस्बों के **योजनाबद्ध विकास** के लिये शहर विकास अभियान के लिये प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान। • मेट्रो रेल, मोनो रेल और अच्छी सड़कों के विकास के माध्यम से बंगलुरु शहर में परिवहन **प्रणाली सुधारने** का प्रस्ताव। • राज्य के सभी भागों में **जल और जल निकासी सुविधा** के लिये आगामी तीन वर्षों में लगभग 18,872 करोड़ रुपये का निवेश। • मलनाड़ क्षेत्र के **विशेष पौधों और फसलों के अध्ययन और अनुसंधान** के लिये शिमोगा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।	• रोक-बांध और बंधारों के रूप में जल-संवर्धन ढांचे उपलब्ध कराकर राज्य के सूखी भूमी वाले क्षेत्रों में **कृषि उत्पादकता बढ़ाना।** • **कृषि और बागवानी उत्पादों की मार्केटिंग के लिये वैज्ञानिक प्रणाली** उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक जिले में कृषि उत्पाद विनिमय की स्थापना। • सुवर्ण ग्रामोदय कार्यक्रम के तहत 1000 करोड़ रुपये तक व्यय करके प्रति वर्ष **1,000 देहातों का समग्र विकास।** • आवश्यक बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराकर और प्रत्येक जिले में छोटे और मझौले उद्योग स्थापित करके औद्योगिक इस्टेट्स विकसित करना। • वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार, राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से **सहकारी ऋण संस्थाओं और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों** को 600 करोड़ रुपये की नयी पूंजी उपलब्ध कराना।	• सरकारी उपक्रमों में **विनिवेश।** • मशीनरी और उपकरण छोड़कर अन्य सामान के परिवहन में 16 टन से अधिक भार के वाहनों की प्रत्येक खेप पर 500 रुपये का टोल लगाने का प्रस्ताव। • गेहूं, चावल और दलहन जैसी **खाद्य मदों** पर वॅट से छूट। • कुछ मदों पर वॅट की दर 12.5 से कम करके 5 प्रतिशत करना। • तंबाकू पर वॅट की दर 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.0 प्रतिशत करना। • कुछ श्रेणियों के होटल के कमरों पर **विलासिता कर** की दर 6.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.0 प्रतिशत करना। • शेयरों/डिबेंचरों और अन्य बिक्री योग्य प्रतिभूतियों संबंधी करारपत्रों पर **स्टैम्प शुल्क** 200 रुपये से कम करके 50 रुपया करना।	• बंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के समीप 12,000 एकर के क्षेत्र में **विशेष आर्थिक झोन** की स्थापना। • सात शहरी निगमों, 44 शहरी नगर परिषदों, 94 टाउन नगर परिषदों और 68 टाउन पंचायतों के सुधार के लिये मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना।
13. केरल	• **एनआरईजीएस** के तहत न्यूनतम 50 दिन कार्य कर चुके परिवारों को 2 रुपया प्रति किलो की दर से चावल देने का प्रावधान। • केरल सज्य वित्तीय उद्यम कर्मचारियों के लिये **अंशदायी पेंशन योजना** लागू करना। • उद्यमशीलता और प्रबंधन अध्ययन में प्रशिक्षण के लिये केरल रिटेल प्रबंधन संस्था की	• 100 करोड़ रुपये की कुल लागत से दो वर्षों में 10 करोड़ पेड़ लगाने के उद्देश्य से मकानों के आसपास बागों की भूमि में **जैव-विविधता के पोषण** की समग्र योजना। • 2010-11 में पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना।	• आयातित चीनी को कर से छूट देना। • अनेक मदों पर कर की दर 12 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत करना • 5000 तक के कनेक्शन वाले केबल टीवी ऑपरेटरों को विलासिता कर से छूट देने का प्रस्ताव। • आवास निर्माण के लिये 5 सेंट से अनधिक भूमि अधिग्रहित	• सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थाओं में अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा। • ऊर्जा प्रबंधन केंद्र के तहत एक अलग **ऊर्जा कुशलता कंपनी** की स्थापना। • केरल वित्तीय निगम का सिडबी से अलग एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में उन्नयन करना।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	स्थापना का प्रस्ताव जो कि भारत में इस प्रकार की पहली संस्था होगी।	• कॉयर, हस्तवस्त्र, बांस और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्र में आय सहायक योजना शुरू करना। • जल और रेल यातायात, राष्ट्रीय जलमार्ग निर्माण और फीडर कॅनल नवींकरण का प्रस्ताव। • अति तेज रेल कारिडोर के अध्ययन और शुरूआत के लिए कंपनी की स्थापना। • कॉयर उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 10 करोड़ रुपये की मूल्य स्थिरीकरण निधि। • 1,600 करोड़ रुपये के इलाथुर - पोन्ननी बीच पर्यटन मार्ग का बीओटी मोड पर निर्माण।	करने वाले **अनुसूचित जनजाति** के प्रत्येक सदस्य को स्टैम्प शुल्क के भुगतान से छूट। • स्टैम्प शुल्क, अधिभार और पंजीयन शुल्क की लागू दर को निगम क्षेत्र में 15.5 प्रतिशत से कम करके 11 प्रतिशत करना; नगरपालिका/टाउनशीप/ कंटोनमेंट क्षेत्र में 14.5 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करना; और ग्राम पंचायत में 12 प्रतिशत से कम करके 9 प्रतिशत करना। • ऑटोरिक्शा के लिये वार्षिक कर के बजाय 2,000 रुपये का एकमुश्त **मोटर वाहन कर।** • **प्रोत्साहन पैकेज** के तहत लगभग 3,000 करोड़ रुपये के कार्य करना।	• स्थानीय स्व-सरकारी विभाग में सामाजिक लेखा परीक्षा कक्ष की स्थापना।
14. मध्य प्रदेश	• सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित खाद्य कूपन प्रणाली लागू करके पीडीएस को मजबूत करना। • उच्च शिक्षा के लिये "डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्कॉलरशिप योजना" नामक नयी योजना शुरू करने का प्रस्ताव। • "मॉ सरस्वती उच्च शिक्षा बैंक ऋण गारंटी योजना" के तहत उच्च शिक्षा के लिये बैंकों से लिये गये शिक्षा ऋणों की गारंटी देना।	• 2010-11 के लिये 200 करोड़ रुपये के प्रावधान से राज्य के सभी देहातों में "मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना" शुरू करने का प्रस्ताव। • 2010-11 के दौरान **बिजली उत्पादन** की नयी योजनाएं और मौजूदा बिजली परियोजनाओं का आधुनिकीकरण। • 2010-11 में 1.84 लाख हेक्टर के लिये अतिरिक्त **सिंचाई।**	• "तीसरा राज्य वित्त आयोग" की सिफारिशों के अनुसार **स्थानीय निकायों** के लिये 3,098 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव। • खाद्यान्न, दलहन, नमक, चीनी और कपड़ों पर वॅट में छूट। • ऑटोमोबाइल उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये लोहे और इस्पात के उपयोग पर **प्रवेश कर** की दर 2 प्रतिशत से कम करके 1 प्रतिशत करना।	• 2010-11 में पीपीपी मॉडल पर कंप्यूटरीकृत समन्वित पूछताछ स्टेशन स्थापित करके प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम उठाना।
15. महाराष्ट्र	• विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिये 2,500 माध्यमिक पाठशालाओं में कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना।	• गायों के वितरण के लिये विदर्भ के 6 जिलों के लिये विशेष पैकेज।	• खाद्यान्न और अन्य आवश्यक मदों के लिये कर राहत का प्रस्ताव।	• बिक्री कर विभाग के कंप्यूटरीकरण और व्यापारियों आदि को अद्यतन आधुनिक सेवाएं देने का प्रस्ताव।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• शैक्षिक वर्ष 2010-11 से जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में 150 कनिष्ठ महाविद्यालयों को अनुमोदन। • राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष में विभिन्न धार्मिक स्थलों का विकास। • किसानों के लिये ह्रदय रोग, कैंसर, मस्तिष्क और स्पिनल कॉर्ड की सर्जरी, किडनी प्रत्यावर्तन और मूत्र मार्ग की सर्जरी, जल जाने और दुर्घटना के लिये राजीव गांधी नयी जीवनदायी योजना।	• समन्वित कृषि प्रणाली,दलहन मिशन, स्वच्छ कपास आंदोलन, भू-संवर्धन मिशन, किसानों का कौशल विकास, एसएचजी को बढ़ावा देना और किसानों का सशक्तीकरण ताकि उनका खाद्यान्न उत्पादन बढ़ सके और अल्प भू-धारकों की आय बढ़ सके। • दोंडाइचा में 1,320 मेगा वॅट और धोपावे में 1,600 मेगा वॅट की नयी **विद्युत परियोजनायें।** • कृषि उद्यागों और औद्योगिक विकास के केंद्र बिंदु के रूप में **मुंबई-पुणे-नाशिक-औरंगाबाद के स्वर्णिम चतु:मार्गों** की नीति। • अगले पांच वर्षों में नदी जल सफायी कार्यक्रम। • गोदावरी नदी पर बांध सहित 100 परियोजनायें पूरी करने का प्रस्ताव। • 2010-114 के दौरान **राजीव गांधी सी-लिंक** के अगले चरण की शुरुआत। • 8,500 करोड़ रुपये की लागत से **शिवड़ी-न्हावा-शेवा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक** चार वर्ष में बनाने का निर्णय।	• डॉ.पंजाबराव देशमुख फसल प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाया जा रहा है जिसमें 50,000 रुपये तक के ऋण पर ब्याज दर शून्य होगी। • कृषि कामगारों की न्यनतम मजदूरी प्रतिदिन 100 रुपये से 120 रुपये के दायरे में लाने के लिये संशोधन। • बैटरी और सोलार एनर्जी पर चलने वाले वाहनों पर कर 12.5 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। • प्रति कमरा 750 रुपये प्रतिदिन के किराये वाले छोटे होटलों और लॉजों को विलासिता कर में राहत। • **वॅट अधिनियम में संशोधन करके लेन-देन वार आकलन की अनुमति देना,** आंशिक धन वापसी कि अनुमति का प्रावधान। • मुंबई मोटर वाहन कर अधिनियम (1958) में संशोधन। • विलासिता कर व्यवसाय कर आदि की वसूली के लिये **ई-सेवा** का विस्तार।	• आय कर विभाग के अधिकारियोओं और स्टाफ को प्रशिक्षित करने तथा अनुसाधान और कर वसूली विश्लेषण करने के लिये **कर अकादमी** की स्थापना का प्रस्ताव। • राज्य के प्रत्येक जिले **मंजिला सरकारी पुस्तकालय के उप-केंद्र** की स्थापना का प्रस्ताव। • अधिक जनसंख्या वाले देहातों को ग्राम विकास योजना बनाने तथा गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधायें देने के लिये वित्तीय सहायता दी जायेगी।
16. मणिपुर	• थौबल, चंदेल, गिरीबाम और सेनापति में **खेल संकुल** का निर्माण। • मानव विकास संकेतक सुधारने के लिये **सामाजिक सेवा क्षेत्र** के लिये 581.52 करोड़ रुपये का बजट विनिधान।	• सिंचाई, सड़के, विद्युत, शिक्षा और स्वास्थ्य जेसे बुनियादी सुविधा क्षेत्रों में किये गये व्यापक निवेश के परिणाम सुनिश्चित करने का प्रस्ताव। • स्थायी कृषि का संवर्धन, जीविका में सुधार और खाद्यान्न उत्पादन तथा	• **कर आधार बढ़ाने** और साथ ही वॅट, मोटर वाहन कर, विद्युत प्रभार, स्टैम्प शुल्क, वन रॉयल्टि आदि की दरें बढ़ाने और युक्तियुक्त करने का प्रस्ताव।	

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
		उत्पादकता बढ़ाने के लिये नवोन्मेषी झूम कृषि। • राज्य में भौतिक कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिये अन्य बुनियादी सुविधाओं सहित सड़कों और पुलों के निर्माण के लिये 88.65 करोड़ रुपये का बजट विनिधान।		
17. मेघालय	• सुधारी हुई और कुशल पीडीएस, उपभोक्ता जागरुकता में वृद्धि और विनियामक उपाय लागू करके **खाद्य सुरक्षा और मुद्रास्फीति के दोनों मामलों** को संभालने के लिये बहुविध रणनीति। • **सिविल अस्पताल, शिलांग में कैंसर विंग** की स्थापना। • **प्रणाली प्रबंधन, ई-स्वास्थ्य सेवा और जैव-चिकित्सा कचरा प्रबंधन** पर ध्यान बढ़ाना। • पश्चिम और दक्षिण गारो पर्वतीय जिलों में विशेष रूप से महिलाओं की गतिविधियां शुरू करने के लिये **वयस्क शिक्षा के लिये - "साक्षर भारत"** नामक संशोधित कार्यक्रम।	• छोटे किसानों, विशेष रूप से बीपीएल परिवारो की ओर ऋण प्रवाह और आय उत्पादक गतिविधियां बढ़ाने के प्रयोजन से बैंक खाता खोलने के लिये प्रति परिवार 5,000 रुपये की सीड पूंजी देने की नयी योजना के प्रारंभिक चरण में 6000 परिवारों को कवर करना। • 2010-11 के दौरान 176.35 करोड़ रुपये का उच्च योजना परिव्यय उपलब्ध कराकर **कृषि और संबंधित कार्यो** पर बल देना। • **सड़कों और पुलों के निर्माण** के लिये राज्य योजना से 180 करोड़ रुपये का विनिधान। • विस्तारित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत, 2010-11 में 32 छोटी सिंचाई योजनाओं का कार्य।	• चूक की जोखिम से बचने के लिये चुनिंदा और प्राथमिकताप्राप्त योजनाओं के लिये गारंटी पर उच्चतम सीमा और साथ ही **गारंटी शोधन निधि** की स्थापना। • **अतिरिक्त राजस्व उत्पत्ति** के लिये मदों पर वॅट दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना। • चारकोल के उत्पादकों, स्टॉकिस्टों और व्यापारियों पर शुल्क लगाने और राज्य से बाहर जाने वाले चारकोल के परेषण पर निर्यात परेषण पास शुल्क लगाने जैसे उपायों के माध्यम से वन विभाग की राजस्व वसूली बढ़ाने का प्रस्ताव। • काजू उत्पादकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिये काजू पर कर की दर को 12.5 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत करना। • लाइसेंस शुल्क और अन्य उत्पाद प्रभारों में संशोधन जैसे **राजस्व बढ़ाने वाले विभिन्न उपाय**, मेघालय यात्री और माल कराधान अधिनियम के तहत कर की दरों में वृद्धि और कार्य संविदाओं पर कर की दर को युक्तियुक्त बनाना।	• वित्तीय क्षेत्र के सुधार की पहलों के रूप में, सभी खजानों को पूर्णत: स्वचालित किया जायेगा और इंटरनेट से उन्हें आपस में जोड़ा जायेगा और वे समन्वित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आइएफएमएस) का हिस्सा बनेंगे। • 2010-11 में **आईटी पार्क और राज्य डाटा केंद्र** का विस्तार। • मेघालय विद्युत शुल्क अधिनियम और विलासिता (होटल तथा लॉजिंग गृह) पर मेघालय कर अधिनियम, 1991 में संशोधन।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
18. मिजोरम	• जनसंख्या गहनता कम करने के लिये एजवाल के आसपास सॅटेलाइट टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव। • खेल और युवाओं की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने और खेल की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करना।	• **नयी भूमि उपयोग नीति** नामक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया जो कि कृषि और संबंधित कार्यों के लिये समन्वित कार्यक्रम है। • राज्य सरकार का पूरा डाटा स्टोर करने के लिये अगले 5 वर्षों में लागू करने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नन्स योजना के तहत अत्याधुनिक बुनियादी सुविधाओं के साथ **राज्य डाटा केंद्र।** • **बिजली के उपयोग पर सब्सिडी में कटौती, विद्युत क्षेत्र** और साथ ही इसके कंपनीकरण में **पूंजी निवेश में वृद्धि।**	• 2010-11 में **गारंटी शोधन निधि** में वृद्धि। • मोटर वाहनों पर करों में वृद्धि। • कर प्रशासन संबंधी मामलों को सुलझाना, उचित प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास, क्षमता निर्माण और वसूली में सुधार। • भू-राजस्व, स्टैम्प और पंजीयन आदि की प्रक्रिया को सुसंगत बनाना।	
19. नागालैंड	• किसामा में **द्वितीय विश्व युद्ध म्युजियम** का कार्य पूरा करने के लिये कला और संस्कृति विभाग के लिये 6.36 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान। • **सैनिक स्कूल पुंगल्वा के बुनियादी सुविधा विकास जैसी परियोजनाओं की पूर्णता,** निदेशालय भवन की पूर्णता, सामुदायकीकरण और मुफ्त पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिये 53.57 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।	• राज्य के सभी जिलों में **उद्यमियों को सहायता, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन** देने के लिये वर्ष 2010-11 को "उद्यमी वर्ष" घोषित किया गया। • किसानों को **उच्च पैदावार के बीज और कृषि की मशीनरी तथा उपकरण** सब्सिडीयुक्त दरों पर उपलब्ध कराना। • **बागवानी उत्पादों की मार्केटिबिलिटी** बढ़ाने के लिये दो प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना।	• 2010-11 में कोई भी **नया कर नहीं।** • मौजूदा दरों पर **राजस्व की बेहतर वसूली** पर बल।	• क्षमता निर्माण, भूमि के मुआवजे के भुगतान, **क्षेत्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली** और दूरस्थ सेंसिंग केंद्र आदि की स्थापना के लिये 149.09 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान। • बैंक रहित क्षेत्रों में **बैंकों की स्थापना के लिये आवश्यक सहायता।**
20. उड़ीसा	• बुनियादी सुविधा निर्माण करने और **"मॉडल स्कूलों"** की स्थापना का प्रस्ताव। • खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये **खाद्य सब्सिडी** के लिये 910.43 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।	• 100 करोड़ रुपये के व्यय से **भू-जल के उपयोग** की नयी योजना का प्रस्ताव। • सिंचाई, पेय जल और भू-जल रिचार्ज के लिये मानसून के अंत में **जल संरक्षण के लिये 1000 रोक-बांध** बनाना।	• 2010-11 में मासिक व्यय योजना और तिमाही व्यय विनिधान के माध्यम से 10 मुख्य विभागों में **नकदी प्रबंधन प्रणाली** शुरू करने का प्रस्ताव। • **डायरेक्ट-टू-होम सर्विस को कर की परिधि में लाने** के लिये उड़ीसा मनोरंजन कर अधिनियम, 2006 में संशोधन का प्रस्ताव।	• **उपयुक्त संस्थागत सुधार के लिये वार्षिक रखरखाव योजना** बनाना। • 2010-11 में कार्यों, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, महिला और बाल विकास तथा पंचायती राज विभागों के **आउटकम बजट** बनाने का प्रस्ताव।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
			• व्यापारियों द्वारा **विवरणी की ई-प्रस्तुति** और सीमा जांच द्वारों का आधुनिकीकरण।	
21. पुदुच्चेरी	• एग्रि क्लिनिक स्थापित करने के लिये बेरोजगार कृषि स्नातकों को वित्तीय सहायता। • सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना। • 2010-11 के दौरान **बायो-मेट्रिक आधारित स्मार्ट रेशन कार्ड** शुरू करने का प्रस्ताव।	• **कृषि और बागवानी उत्पादों की मार्केटिंग स्थिति** सुधारने के लिये नीलामी यार्डों, ग्रामीण गोदामों और विनियमित बाजार यार्ड बनाना। • एंबालम में 2010-11 में आइटीआइ की स्थापना का प्रस्ताव।	• सूक्ष्म कृषि के तहत कृषि कर रहे किसानों को **ड्रिप सिंचाई की स्थापना और निविष्टि आदि की खरीद** के लिये 100 प्रतिशत सब्सिडी देना। • बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिये **वॅट** 12.5 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत करना।	
22. पंजाब	• **महिलाओं के पक्ष में अंतरित की जा रही संपत्ति पर स्टैम्प शुल्क** 4 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत करना। • ज्ञान नगरी मोहाली को 70 एकर भूमि उपलब्ध कराने और प्रतिष्ठित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना के लिये 51 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव।	• राज्य के सभी जिलों के लिये जिला योजना आयोग की स्थापना करके **"विकेंद्रिकृत योजना"** की दिशा में पहल। • निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये 97,623 करोड़ रुपये के निवेश वाली 342 **मेगा परियोनाओं** को अनुमोदन।	• **वातावरण** परिवर्तन से आई चुनौतियों का सामना करने के लिये **"ग्रीन पहलें"** के लिये विद्युत शुल्य में 3 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी जिससे प्रति वर्ष 270 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। • सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये **मनोरंजन कर** 125 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करना और थिएटर (नाटक) को मनोरंजन कर से पूर्णत: मुक्त करना	
23. राजस्थान	• 2010-11 में 150 एंबुलेन्सों की खरीद, 500 उप-स्वास्थ्य केंद्रों के लिये भवनों का निर्माण और जिला अस्पतालों में आइसीयू की स्थापना. आदि। • वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और विकलांगों की **पेंशन** में वृद्धि। • **अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण** के लिये आइटीआइ, शिक्षावृत्ति और आवासों का निर्माण। • **सहकारी आंदोलन सुदृढ़**	• 2010-11 में 33 केवी के 320 जीएसएस और 20,000 देशी सोलार लाइट उपकरणों की स्थापना। • **वन सुरक्षा** के लिये 1,000 वन रक्षकों की भर्ती। • बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये इस क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से "राजस्थान **बुनियादी सुविधा विकास** अधिनियम" का प्रस्ताव। • खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिये प्रत्येक जिले में	• राजस्थान राज्य खान और खनिज निगम" की 10 प्रतिशत पूंजी के **विनिवेश** का प्रस्ताव। • मुद्रास्फीति के कारण **दलहनों पर कर** 1 प्रतिशत रखा जायेगा। • स्थानीय निकायों के संसाधन बढ़ाने के लिये पंजीयन शुल्क के साथ मोबाइल टावरों और यूजर प्रभारों का पंजीयन। • राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के निर्णयानुसार **वॅट** 4 प्रतिशत से **बढ़ाकर** 5 प्रतिशत करना।	• राज्य में घरेलू नौकरों के लिये **"घरेलू कामगार सुरक्षा अधिनियम"** का प्रस्ताव। • **राजस्व संग्रह** की क्रियाविधि का सरलीकरण।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	करने के लिये "समग्र/समेकित सहकारी विकास योजना"। • 2010-11 के दौरान कक्षा के 1,000 कमरों का निर्माण।	**"मोबाइल जांच लैब"** की स्थापना का प्रस्ताव।		
24. सिक्कीम	• सिक्कीम में 2015 तक पूर्ण **गरीबी उन्मूलन** के लिये नवोन्मेषी और सामाजिक रूप से संगत उपाय। • राज्य की राजधानी में 575 चारपाइयों वाले बहु-**विशेषतायुक्त अस्पताल** का निर्माण। • बच्चों को प्रभावित कर रहे कुपोषण को दूर करने के लिये **मुख्यमंत्री अंत्योदय पौष्टिक आहार योजना** के तहत प्रोटीनयुक्त अनुपूरक आहार का वितरण।	• किसानों को **अतिरिक्त मार्केटिंग सुविधा** उपलब्ध कराने के लिये चार जिलों में चार किसान बाजार और बीडीओ स्तर पर सोलह किसान बाजार। • भूमि को पूर्णत: जैविक बनाने, जैविक प्रमाणन, प्रतिस्पर्धी जैविक बाजार की पहचान करने और किफायती लागत पर बल। • **हरित अभियान** के अनुपूरन और पुन: बहाली के लिये स्वच्छ वायु अधिनियम, जल गुणवत्ता अधिनियम, वातावरण नीति अधिनियम, किटाणु नाशन अधिनियम और लुप्तप्राय जीव अधिनियम के लिये विधान का निर्माण।	• राजकोषीय सुधार और बजट प्रबंधन योजना के संदर्भ में **योजनेतर व्यय कम करने** के मामले और **राजस्व संग्रह** तथा **ऋण प्रबंधन** संबंधी मामलों को देखने के लिये प्राधिकरण का गठन।	• **विकेंद्रिकृत प्रशासन** व्यवस्था के तहत बीडीओ को उनके कर्तव्य पूरे करने में सहायता देने के लिये प्रखंड विकास समिति का गठन।
25. तमिलनाडु	• सरकारी कला और विज्ञान महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिये **शिक्षा शुल्क की समाप्ति।** • उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सब्सिडीयुक्त दर पर तूर दाल, उड़द दाल और पाम तेल जैसी **आवश्यक खाद्य मदें** उपलब्ध कराने का प्रस्ताव। • तूर दाल और पाम तेल आयात करके और साथ ही अन्य राज्यों से प्राप्त करके उनकी **सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करना।** • 2010-11 में 2,000 माध्यमिक शालाओं को कंप्यूटर उपलब्ध कराने के लिये 50 करोड़ रुपये का आबंटन।	• 2010-11 में 609 करोड़ रुपये के **बाढ़-संरक्षण के नये कार्य।** • कंटूर नहर को 127.5 करोड़ रुपये की लागत से पूर्णत: बहाल करने की योजना का प्रस्ताव। • विलुप्पुरम जिले में **औद्योगिक पार्क** की स्थापना। • 284 करोड़ रुपये की लागत से कोयंबतुर के लिये पश्चिमी बाहरी रिंग रोड और 500 करोड़ रुपये की लागत से चेन्नई में अन्ना सलाई पर ग्रेड सेपरेटर से **यातायात में भीड़-भाड़** की समस्या का समाधान करना। • **खादी कामगारों** के कल्याण	• दलहन और चना, -दलहन और चने का आटा, खाद्य तेल, इमली, मिर्च, धनिया, हल्दी, हींग, सरसों और मसालों जैसी प्रमुख खाद्य मदों पर **वॅट से छूट।** • कुछ मदों पर **वॅट** 12.5 प्रतिशत से **घटाकर** 4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। • 2010-11 से राज्य के अपने कर राजस्व से **स्थानीय निकायों को निधि अंतरण** 9.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना।	• 2010-11 में 10,000 और **स्व-सहायता समूहों** का गठन। • 2010-11 में 200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किचन शेड के साथ 9,045 पोषक आहार केंद्रों की स्थापना करके बाल विकास की दिशा में पहल करना।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• 2010-11 में **अल्पसंख्यक समुदाय** के 12,500 **उद्यमियों** को 25 करोड़ रुपये के **कारोबारी ऋण** की स्वीकृति।	के लिये खादी कतायी और बुनायी कल्याण बोर्ड की स्थापना।		
26. त्रिपुरा	• **पीडीएस को मजबूत करना** और **रेशन के पण्यों की आपूर्ति में निरंतरता** बनाये रखना। • पीडीएस मदों को वहन करने वाले वाहनों के आवागमन/इन मदों की सुपुर्दगी अपराह्न 4 बजे के बाद करने पर पाबंदी और **रेशन के पण्यों की मासिक पात्रता का स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन।** • 2020 तक **नयी शालाओं** की स्थापना, सभी शालाओं के लिये पक्के भवन उपलब्ध कराना और सभी शालाओं में कंप्यूटर समर्थित शिक्षा देना और सभी उच्च माध्यमिक शालाओं को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना। • कांचनपुर और अमरपुर में **100 नये स्वास्थ्य उप-केंद्रों और 100 चारपाइयों वाले उप-प्रभागीय अस्पतालों** का निर्माण।	• **आत्मनिर्भर बनने के लिये** 2011-12 के अंत तक 8.61 लाख एमटी खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखकर 2010-11 और 2011-12 की कार्य योजना बनाना। • आइटी मनुष्य बल के लिये रोजगार उत्पन्न करने के लिये **सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क** की स्थापना।	• तीसरे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट 2010-11 से लागू करना। • कर दाताओं का आधार बढ़ाने, कर कानूनों का अनुपालन सुधारने, कर प्रशासन की दक्षता बढ़ाने, कर वंचकों के विरुद्ध विशेष अभियान, अपील के मामलों पर तेजी से कार्रवाई और ईमानदार कर दाताओं को प्रोत्साहित करने आदि पर बल देना।	
27. उत्तराखंड	• महिला सशक्तीकरण के लिये **जेंडर बजट** के तहत 1,400 करोड़ रुपये का प्रावधान। • मात्र 15,000 रुपये वार्षिक शुल्क प्रभारित करके **चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराना।**	• 2010-11 के दौरान विविध **विद्युत योजनाओं** के वित्तपोषण के लिये 454.99 करोड़ रुपये का निवेश। • 100 करोड़ रुपये के निवेश से समन्वित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का प्रस्ताव।	• **केरोसिन और वस्त्र** और कपास की अनुपयोगी सामग्री **पर वॅट** 12.5 प्रतिशत से कम करके 4 प्रतिशत करना। • **पारंपरिक हथकरघा** और लिखायी की स्याही **पर वॅट** की समाप्ति। • **अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय पर स्टैम्प शुल्क** 2010-11 में 7 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करना।	• 2010-11 के दौरान 428 देहातों में **"लघु बैंकों"** की स्थापना। • जिला स्तरों पर **"प्रेस क्लबों"** का गठन।
28. उत्तर प्रदेश	• **अनुसूचित जातियों** के लिये "विशेष क्षेत्र की योजना" के लिये प्रावधान (9,099.75 करोड़ रुपये)।	• **ऊर्जा क्षेत्र की प्रेषण और वितरण प्रणाली** में सुधार। • पीपीपी आधार पर एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण, कुशिनगर में		• **जनगणना 2011** के लिये 289.39 करोड़ रुपये का प्रावधान।

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(जारी)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
	• पण्यों के कृत्रिम अभाव के विरुद्ध कड़ा प्रशासनिक तंत्र, **आयातित सब्सिडीयुक्त दलहनों का पीडीएस के माध्यम से वितरण**, आदि। • **"इंदिरा आवास योजना"** के तहत 2010-11 में 5 लाख आवासों की निर्मिती का प्रस्ताव। • गांवों में **पर्यावरणीय स्वच्छता** के लिये डॉ.आंबेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत 1242 करोड़ रुपये का प्रावधान। • 2010-11 के दौरान 1000 प्राथमिक और 1000 उच्च प्राथमिक पाठशालाएं खोलने का प्रस्ताव।	अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और "बौद्ध परिपथ" का विकास। • 247.68 करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश से 2010-11 के दौरान ग्राम उद्योगों की स्थापना जिससे 82,000 लोगों को **रोजगार** मिलेगा।		• 2010-11 के दौरान **प्रशासनिक सेवाओं** का राज्य के सभी भागों तक विस्तार करना।
29. पश्चिम बंगाल	• **आवश्यक पण्यों के कृत्रिम अभाव** की समस्या से निपटने के लिये **"एंटी-प्रॉफिटियरिंग एक्ट"** को मजबूत करने का प्रस्ताव। • 2010-11 के दौरान **2000 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और 25 आइटीआइ** की स्थापना। • 2010-11 के दौरान 20 महाविद्यालयों की स्थापना। • शहरी बेरोजगारी घटाने के लिये 2010-11 के दौरान "पश्चिम बंगाल शहरी रोजगार योजना" लागू करना।	• किसानों के उत्पादों के लिये उचित मूल्य, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, **बहुउद्देश्यीय शीत गृहों और श्रृंखला व्यवस्था की स्थापना** और "स्व-सहायता समूहों" को उनके उत्पाद राज्य में बाजार में बेचने के लिये प्रोत्साहन, आदि। • कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये **सिंचाई और जल-निकासी** में सुधार। • पूंजीगत निवेश के लिये अतिरिक्त प्रोत्साहन, विद्युत शुल्क में छूट और रोजगार उत्पत्ति के माध्यम से उत्तरी बंगाल में उद्योगों और विस्तार को प्रोत्साहन।	• कर चुकौती में चूक पर 10 प्रतिशत दंड लगाना। • केंद्रीय बिक्री कर (पश्चिम बंगाल) नियमावली, 1958 में संशोधन। • विनिर्माण में प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी के पुरजों, घटकों और उपकरणों पर **इनपुट टैक्स क्रेडिट** की अनुमति और औद्योगिक इकाइयों में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट। • किसी स्थानीय स्वराज्य संस्था से प्राप्त ठोस अनुपयोगी सामग्री से बनाये गये ईंधन पर कर-छूट। • अधिकतम खुदरा मूल्य 3,000 रुपये से अधिक मूल्य वाले **मोबाइल फोनों पर कर की दर** 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करना। • विदेशी मदिरा की बिक्री पर **बिक्री कर की दर** बढ़ाकर 37 प्रतिधत करना जिसमें अधिकतम खुदरा मूल्य पर 23	

अनुबंध 1: राज्य बजट 2010-11 की प्रमुख नीतिगत पहलें *(समाप्त)*

राज्य	सामाजिक	आर्थिक	राजकोषीय	अन्य
			प्रतिशत की दर पर कर के भुगतान का विकल्प होगा।	
30. एनसीटी दिल्ली	• जेएनएनयूआरएम के तहत 1,814 करोड़ रुपये की लागत से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिये ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण के लिये 15 परियोजनाएं। • **पीपीपी मोड** के तहत विकासपुरी, बुरारी और आंबेडकर नगर में 200 चारपाई वाले और द्वारका में 750 चारपाई वाले अस्पतालों का निर्माण।	• जेएनएनयूआरएम के तहत, पीडब्ल्यूडी सड़कों और उड़ानपुलों की 13 परियोजनाएं, 11 एमसीडी सड़कों और 10 उड़ानपुलों की परियोजनाएं, डीजेबी की मलनिकासी परियोजना, एनडीएमसी द्वारा कनॉट प्लेस के पुनर्विकास की एक परियोजना और 1500 डीटीसी बसों की खरीद, आदि कार्य। • जन परिवहन की गुणवत्ता सुधारने के लिये 2,019 करोड़ रुपये की लागत से 3775 अतिरिक्त लो फ्लोर बसों की सहायता से **डीटीसी के काफिले का आधुनिकीकरण**।	• **वॅट** से छूट प्राप्त कुछ मदों पर 5 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत वॅट लागू करना। • सूखा मेवा, देसी घी, घरेलू प्लास्टिक की मदें, ट्रैक्टर के टायर और ट्यूब, इनवर्टर, ताले, चाय, आदि पर **वॅट** 5 प्रतिशत से **बढ़ाकर** 12.5 प्रतिशत करना। • जन सामान्य की निर्वाह लागत पर प्रभाव को न्यूनतम करने के लिये **कुछ आवश्यक पण्यों और खाद्यान्न पर वॅट में छूट।** • **डीजल पर वॅट** 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना। • घरेलू एलपीजी सिलिंडर पर 40 रुपये सब्सिडी। • **अधिकतम पंजीयन शुल्क** 100 रुपये से **बढ़ाकर** 500 रुपये करना और अन्य स्लैबों को भी उसी अनुपात में बढ़ाना।	